संख्या–410 / 9–आ–3–2001(आ.ब.)

प्रेषक,

**अतुल कुमार गुप्ता,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 28 जनवरी, 2001

**विषयः नियमितीकरण पात्रता हेतु अनाधिकृत कालोनी के न्यूनतम आकार के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 5097 / 9–आ–3–2001 (आ.ब.) दिनांक 26.5.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु गाईडलाइन्स जारी की गयी थी। विकास प्राधिकरणों के कार्य–कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 21.12.2001 में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि उक्त गाईडलाइन्स में नियमितीकरण पात्रता हेतु शर्ते दी गई हैं परन्तु अनधिकृत कालोनी के न्यूनतम आकार के सम्बन्ध में मानक निर्धारित नहीं है। अतः कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा यह जिज्ञासा प्रकट की गई कि नियमितीकरण हेतु पात्र अनधिकृत कालोनी का न्यूनतम आकार / क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, के बारे में शासन द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियमितीकरण हेतु किस संकलन को कालोनी माना जाए, यह विकास प्राधिकरण के विवेक पर निर्भर है, क्योंकि स्थल विशेष की भौतिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अनधिकृत कालोनी का आन्तरिक ले–आउट, निर्माण की तारतम्यता (Contiguity of Construction) तथा आकार एवं माप (Shape and Size) भिन्न–भिन्न हो सकते हैं जिसके कारण सभी स्थितियों में एक ही मापदण्ड अपनाया जाना व्यवहारिक नहीं है। तथापि यह सुनिश्चित होना आवश्यक है कि चिन्हित कालोनी एक तारतम्य क्षेत्र (Compact Area) हो तथा उसमें अवस्थापान सुविधाओं का प्राविधान फिजीबिल एवं स्वतंत्र रूप से किया जाना सम्भव होना चाहिए।

3. कृपया उपरोक्त के दृष्टिगत पात्र अनधिकृत कालोनियों का चिन्हीकरण सुनिश्चित करते हुए नियमितीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**अतुल कुमार गुप्ता**
सचिव

<u>संख्या–410 (1) / 9–आ–3–2001(आ.ब.) तद्दिनांक :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, उ.प्र. विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

5. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ लिमिटेड, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
11. समस्त विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन।
12. अध्यक्ष, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट्स, उत्तर प्रदेश।
13. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, लखनऊ।
14. अपर निदेशक, नियोजन, उ.प्र. आवास बन्धु।

आज्ञा से,

**यज्ञवीर सिंह चौहान**
विशेष सचिव